

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर, 2006

क्रमांक एफ 2-6/1/वेआप्र/96 : राज्य शासन द्वारा शासकाय सेवकों को प्रदत्त पुनरीक्षित वेतनमान में संशोधन, परिवर्तन, पुनरीक्षण तथा अन्य सेवा शर्तों पर विचार करने हेतु श्री ब्रम्हस्वरूप सेवानिवृत्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सेवा शर्त एवं वेतनमान पुनरीक्षण समिति का गठन दिनांक 27.8.97 को किया गया था। इस समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन दिनांक 29.5.99 को प्रस्तुत किया गया।

2/ ब्रम्हस्वरूप समिति की अनुशंसाओं एवं इन अनुशंसाओं पर विभागों/विभागाध्यक्षों से प्राप्त अनुशंसाओं पर अग्रेत्तर विचार करने के लिए दिनांक 31.8.99 को सचिव स्तरीय समिति का गठन किया गया। मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों द्वारा कुछ विभागों के कतिपय संवर्गों के वेतनमान विसंगति के संबंध में ध्यान आकर्षित करने पर दिनांक 30.12.1999 को समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में विभागाध्यक्ष एवं स्थापना के अपर/उप सचिव की उप समिति गठित की गई। ब्रम्हस्वरूप समिति एवं उप समितियों द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर इस समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन दिनांक 12.6.2003 को प्रस्तुत किया गया।

3/ ब्रम्हस्वरूप समिति एवं सचिव समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को यथावत मान्य कर लेने में विसंगति आने की संभावना के कारण दिनांक 7.8.2003 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा ब्रम्हस्वरूप समिति, सचिव स्तरीय समिति एवं विभागीय अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में विचार कर अपनी अनुशंसा दी गई।

4/ राज्य शासन द्वारा ब्रम्हस्वरूप समिति, सचिव स्तरीय समिति एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

5.1 संलग्न परिशिष्ट-1 के कालम-4 में दर्शाये अनुसार विभागों के अधीनस्थ पदों को उच्च वेतनमान स्वीकृत किया जाता है। यह बढ़ा हुआ वेतनमान दिनांक 1.4.2006 से देय होगा।

5.2 संलग्न परिशिष्ट-2 के कालम-4 में दर्शाये अनुसार विभागों के अधीनस्थ पदों को निम्न वेतनमान स्वीकृत किया जाता है। यह संशोधित वेतनमान भविष्य में की जाने वाली पदोन्नति/भर्ती के लिए लागू होगा। वर्तमान में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के वेतनमान में कमी नहीं की जावेगी।

5.3 परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 के अतिरिक्त शेष समस्त पदों का वेतनमान यथावत रखा जाकर अपरिवर्तित रहेगा।

5.4 विभाग के अधीन यदि निम्नानुसार पद हैं तो इन पदों के संबंध में विभागों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी:-

5.4.1 केशियर एवं स्टोर कीपर :-

जहाँ यह पद सहायक ग्रेड-3 के समकक्ष है, वहाँ वेतनमान रु. 3050-4590 एवं जहाँ यह पद सहायक ग्रेड-2 के समकक्ष है, वहाँ वेतनमान रु. 4000-6000 किया जावे।

5.4.2 कलाकार :-

हायर सेकेण्डरी फाइन आर्ट्स के साथ वेतनमान, रू0 3500-5200 एवं फाइन आर्ट्स में डिग्री अथवा डिप्लोमा पर वेतनमान, रू0 4500-7000 किया जावे।

5.4.3 ड्राइंग स्टाफ:-

कार्य विभागों के अलावा अन्य विभागों में मानचित्रकार संवर्ग में उच्च वेतनमान के पद पर सीधी भर्ती की जाती है इसका औचित्य नहीं है। सभी विभागों में सीधी भर्ती सहायक मानचित्रकार के पद पर 4000- 6000 वेतनमान में की जानी चाहिए।

5.4.4 वर्कशाप स्टाफ :-

(1) जिन पदों पर नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हता हायर सेकेण्डरी एवं संबंधित ट्रेड, जिसकी प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष है, में आई.टी.आई. सर्टिफिकेट निर्धारित है, को "कुशल श्रेणी" में रखा जाय। "मास्टर काफ्टसमेन" के पद उक्त संवर्ग की पदोन्नति से भरे जायें।

(2) जिन पदों पर नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हता हायर सेकेण्डरी एवं संबंधित ट्रेड, जिसकी प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष से अधिक है, में आईटीआई सर्टिफिकेट निर्धारित है, को "उच्च कुशल" श्रेणी में रखा जाय। मास्टर काफ्टसमेन का पद ऐसे ट्रेड में भी पदोन्नति से भरा जाय।

(3) उक्त पदों का वेतनमान एवं पदोन्नति संरचना सभी विभागों के लिये निम्नानुसार रखी जाए:-

(1) श्रमिक	रू0	2550-3200
(2) कुशल ग्रेड-2	रू0	2750-4400
(3) कुशल ग्रेड-1	रू0	3050-4590
(4) उच्च कुशल	रू0	4000-6000
(5) मास्टर काफ्ट मेन	रू0	4500-7000

5.4.5 प्रोग्रामर/सिस्टम एनालिस्ट

(1) लोक सेवा आयोग से सीधी भरती से भरे जाने वाले इन पदों के लिये वेतनमान रू. 8000-13500 दिया जावे।

(2) अन्य पदों के लिए वेतनमान रू. 6500-10500 दिया जाय।

5.4.6 सहायक ग्रेड-1

(1) वेतनमान रू.5500-9000 मंत्रालय के लिये ।

(2) वेतनमान रू.4500-7000 विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिये ।

(3) सहायक ग्रेड-1 के कुल स्वीकृत पदों में से 25% पद ऐसे सहायक ग्रेड-2 जो स्नातक और पांच वर्ष की सेवा नियमित कर चुके हैं की सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाए।

5.4.7 लेखापाल/वरिष्ठ लेखापाल

लेखापाल/वरिष्ठ लेखापाल का वेतनमान 4000-6000 रखा जावे, सभी विभागों में इस पद का पदनाम एक समान लेखापाल ही रखा जाये और इसे सहायक ग्रेड-2 संवर्ग का भाग बनाया जावे।